

नगर परिषद, हनुमानगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्वतांत)

क्र. ३४६७

अनापति प्रमाण पत्र

Re. ३४/०६/२५

आवेदन नं.:

LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2024-25/34062

जारी दिनांक:

28-JUN-2024

वैधता दिनांक:

27-JUN-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHAELESH MAHESWARI

आवेदक का पता: MARDA KA MOHALLA NOHAR HANUMANGARH

विषय:- अधिनशमन अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ANGEL PUBLIC SCHOOL, 0, PWD ROAD, NOHAR, NOHAR, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिन सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तों:-

- अनापति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जावा आवश्यक होगा, अन्यथा अनापति रखति निरस्त माली जावेगी।
- भवन के समस्त टाप व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अधिनशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अधिनशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई विभाग/उपभियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मूल्य अधिनशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व प्रबंधक सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इथति में यह अधिकारी पत्र निरस्त माला जाएगा।
- पांच के हड्डे हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील रहिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाची जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर बाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवश्य रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी दावर में दावर कि उचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अधिन सुरक्षा प्रमाणपत्र अधिन सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्षी मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक रखने उल्लंघनी होगा।
- यह अनापति प्रमाण पत्र लफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाज के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर लफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



SECRETARY

ANGEL PUBLIC SHIKSHA SAMITI
NOHAR

Pankaj Singh
Principal
Angel Public School
(Affiliated with CBSE, New Delhi)
Affiliation No. 1730302
PWD Road, Nohar (Raj.)

Signed by: Mohammed Yunas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 28/06/2024 16:43:51

अधिनशमन अधिकारी
सहायी अधिकारी
नगर पालिका, हनुमानगढ़
नगरपालिका, हनुमानगढ़